हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज फिरोज खान बनाम सरकार धारा 136 प्रकरण सख्या 58/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 58/2018 फिरोज खान बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम धुन्धाडा तहसील लुणी के खसरा नम्बर 287, 500/2 व 705 ग्राम धुन्धाडा मे फकिर खॉ पुत्र मुसा खा के स्थान पर फिरोज खा पुत्र मुसा खां राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमे तहसीदार लूणी से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक/भूअ/2022/1836 दिनाक 18.04.2022 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार 01. ग्राम धुन्धाडा के खसरा नम्बर 287, 500/2 705 मे फकीर खां पुत्र मुसे खा 1/12 मे सयुक्त खातेदार के रूप मे दर्ज है। 02. ग्राम धुन्धाडा के जरिये नामान्तरकरण सख्या 1001 मे मुसा खा फौत से फकीर खा का नाम दर्ज हुआ प्रार्थी के सलग्न दस्तावेज आधार कार्ड पेन कार्ड जन्म प्रमाण पत्र मे फिरोज खॉ नाम से दर्ज है तहसीलदार की रिपोर्ट मे फकीर खा व फिरोज खा एक की व्यक्ति को होना बताया गया है अत– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम धुन्धाडा के खसरा नम्बर 287, 500/2 व 705 मे फकीर खा के स्थान पर फिरोज खा का नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दााखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	